बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन शाखा)
—: अधिसूचना :—

प0 सं0–15/डी0एल0ए0, सम्पर्क सड़क (गोठौला) II–24/2011–.....1201..../रा0, पटना–15, दिनांक– 07-05-13
संख्या– भू–अर्जन,कटिहार दिनांक–

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा गोठौला थाना नं० 480 थाना कदवा परगना कुमारीपुर जिला कटिहार के अन्तर्गत मौजा गोठौला दुर्गास्थान से ईट सड़क तक सम्पर्क सड़क निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम गोठौला थाना नं० 480 के भीतर एक भू–खण्ड अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 0.14 एकड़(चौदह डिसमल) के बराबर होता है, जिसका खेसरा सं० 502,503 का अंश।जिसका चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

उत्तर :–	मौजा गोठौला थाना नं० 480 का सर्वे खेसरा नं० 501 पूर्ण एवं 502 का अंश।
पूरब :–	मौजा गोठौला थाना नं० 480 का सर्वे खेसरा नं० 502 एवं 503 का अंश।
दक्षिण :–	मौजा गोठौला थाना नं० 480 का सर्वे खेसरा नं० 433 पूर्ण एवं 231 बिहार सरकार रोड।
पश्चिम :–	मौजा गोठौला थाना नं० 480 का सर्वे खेसरा नं० 502 का अंश एवं 433,431 पूर्ण एवं 502 का अंश।

यह अधिसूचना बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा (यथा संशोधित)अधिनियम 1–1984 की धारा –4 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार और उनके कर्मचारी तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे सम्बन्धित अंचल पदाधिकारी एवं उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करता है कि भूमि में प्रवेश कर भूमि का सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) मे यथा उपबंधित या विनिदिष्ट अपने कार्यो के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति तामिला होने के 30(तीस) दिनांक भीतर धारा 5 (क) के अन्तर्गत हित सम्बन्धी व्यक्ति द्वारा उक्त अधिनियम के अधिन समाहर्त्ता कटिहार के समक्ष (भू–अर्जन पदाधिकारी कटिहार के कर्यालय में)दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी आपत्तियों पर विचार किया जायगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भू० अर्जन पदाधिकारी कटिहार — अपर समाहर्त्ता कटिहार — समाहर्ता कटिहार

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक.....1201/रा0/भू–अर्जन दिनांक 07-05-2013/

प्रतिलिपिः–	निदेशक,भू–अर्जन, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–	निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ। उनसे अनुरोध है कि दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनोपरान्त प्रकाशन सूचना जिला भू–अर्जन कटिहार को दी जाय।
प्रतिलिपिः–	उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला गजट प्रशाखा, कटिहार को गजट के असाधारण अंक में प्रका–शनोपरान्त 5–5 प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः–	अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार/अंचल पदाधिकारी,कटिहार/मुखिया ग्राम पंचायत राज सुखासन को सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–	अधियाची पदाधिकारी को सूचनार्थ।
प्रतिलिपिः–	हितवद्ध रैयतों को सूचनार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

6/5/13

सरकार के अवर सचिव